

**TO BE PUBLISHED IN PART –IV ORDINARY OF
THE DELHI GAZETTE
GOVT. OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF COOPERATIVE)
OFFICE OF THE REGISTRAR COOP. SOCIETIES
PARLIAMENT STREET: NEW DELHI**

No.F.47/1255/NW/GH/RCS/2013 | 1709

Dated: 06/06/13

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003(Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the **Quetta Cooperative Group Housing Society Ltd (1255/GH)** from the provisions of Section 37 (1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003(Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supercession of the Managing Committee and the term of the Administrator of the said society upto **31.07.2013** or till the democratic setup of the society is restored whichever is earlier.

By order and in the name of
The Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi,



**(VISHVA MOHAN)
ADDL. SECRETARY COOP. SOCIETIES**

(दिल्ली राजपत्र साधारण के भाग-४ में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,

सहकारिता विभाग

संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१


संख्या : फा० ४७/१२५५/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/२०१३/१७०९

दिनांक ०६/६/१३

अधिसूचना

दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम २००३ की धारा १२७; (दिल्ली अधिनियम — ३, २००४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, क्वेटा सहकारी गृह आवास समिति (१२५५ /स०आ०) धारा ३७(१)(ख) दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम २००३; (दिल्ली अधिनियम — ३, २००४) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक ३१.०७.२०१३ अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है !

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर



(विश्व मोहन)

अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)